राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

राजकीय भवनों के शिलान्यास अथवा उद्घाटन समारोह/कार्यक्रम जन प्रतिनिधियों से ही संपादित करवाये जाने के संबंध में पूर्व प्रसारित परिपत्र कमांक प. 19(16)प्र.सु./अनु.–1/सम./95 दिनांक 14.11.1995, 23.08.1999, 23.04.2002, प. 10(2)प्र.सु./अनु–1/सम./अनु–1/1996 दिनांक 19.07.2001 एवं प. 24(1)प्र.सु./अनु.–1/सम./2015 दिनांक 09.10.2015 की निरन्तरता में निम्नांकित दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. सार्वजनिक राशि के उपयोग से आयोजित होने वाले राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन कार्यक्रमों व अन्य राजकीय समारोह, चाहे वे किसी राजकीय उपकम, बोर्ड, निगम या स्वायत्तशासी संस्था के हो, में जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर/सभापति/अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य जन प्रतिनिधियों, विशेषतः कार्यक्रम स्थल क्षेत्र से संबधित जन प्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जावे।
2. राजकीय भवनों या कार्यक्रमों के शिलान्यास/उद्घाटन/लोकार्पण आदि कॉर्यक्रम जनप्रतिनिधियों से ही सम्पन्न करायें जावें।

कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग के परिपत्र कमांक प. 4(6)कार्मिक/–3/1978 दिनांक 30.04.2007 द्वारा उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वाले संबंधित अधिकारीगण के विरूद्ध, इसे राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुये अनुशासनिक कार्यवाही के लिए विनिर्दिष्ट किया हुआ है। दिनाक 06.03.2018 को दी गई अध्यक्षीय व्यवस्था के अनुसार अब उन्हें विधानसभा के विशेषाधिकार हनन का दोषी भी माना जा सकता है। अतः समस्त राजकीय विभागों/राजकीय उपकमों/बोर्ड/निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सभी स्तरों पर आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

(निहाल चन्द गोयल)
मुख्य सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
अ0शा0टीप संख्याः प. 24(1)प्र.सु/सम/अनु–1/2015
जयपुर, दिनांक : 05/04/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, जयपुर
शासन सचिव, वन/पर्यावरण विभाग, जयपुर
सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण, जयपुर
विशिष्ट सचिवं, पर्यटन विभाग, जयपुर
निदेशक, पर्यटन/पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर
निदेशक, अभिलेखागार, बीकानेर
संयुक्त शासन सचिव, वन/पर्यावरण/पर्यटन विभाग, जयपुर
शासन उप सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, जयपुर
समस्त संयुक्त निदेशक, उप निदेशक/सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, राजस्थान।
समस्त उप वनसंरक्षक, राजस्थान।
समस्त उप निदेशक/अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, राजस्थान।

(डॉ.सुबोध अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण पर्यटन,
कला एवं संस्कृति विभाग